635

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प.4(3)नविवि/5/2002 जयपुर, दिनांक:- 31 जनवरी 2002

: संशोधन :

स्वायत्त शासन विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(ग)( ) (नियम/डी.एल.बी/2001 दिनांक 1.1.2002 में पैरा नं. 7 के पश्चात एवं पैरा 8 के पूर्व एक नया पैरा 7-ए निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

" 7-ए नगर सुधार न्यासों में निहित भूमि के सम्बन्ध में नियमन समिति में अध्यक्ष, सम्बन्धित न्यास, सचिव, न्यास, एवं कलक्टर द्वारा मनोनीत अधिकारी होगा तथा जयपुर विकास प्राधिकरण में निहित भूमि के सम्बन्ध में समिति में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, सम्बन्धित जोन के उपायुक्त एवं उप नगर नियोजक होंगे "।

31.1.02
(एच.एस.भारद्वाज)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
5. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
8. रक्षित पत्रावली।

31.1.02
शासन उप सचिव

लेखराज/

(52)

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:प.।।।।। ।नियम/डीएलबी/2001/। दिनांक:।।।।।।।

परिपत्र

विषय:- नगर निगम/परिषद/बोर्ड और नगर सुधार न्यासों/जयपुर विकास प्राधिकरण में निहित भूमि पर आवासीय प्रयोजन के लिए निर्माण कर किए गए अनाधिकृत कब्जों के नियमन एवं व्यवस्थिकरण- ।रेगुलाइजेशन। ।

नगरीय स्थानीय निकायों में निहित आबादी भूमि पर 21.8.1971 से पूर्व किए गए अनाधिकृत कब्जों एवं निर्माणों के विनियमन एवं व्यवस्थिकरण हेतु स्वायत्त शासन विभाग द्वारा एक परिपत्र क्रमांक:एफ.71।87।एल. स.जी./58/115।-1652 जयपुर, दिनांक:5/9 मई, 1977 जारी किया गया था । परंतु इससे समस्याओं का अभी तक पूर्ण समाधान नहीं हुआ है ।

राज्य सरकार द्वारा 26.1.2002 से "प्रशासन शहरों के संग" अभियान प्रारम्भ किया जा रहा है । अतः जनहित में आवासीय समस्या के समुचित समाधान की दृष्टि से नगरीय स्थानीय निकायों में निहित भूमि पर 31.12.1991 तक निर्माण कर किए गए अनाधिकृत कब्जों के नियमन हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 297 सपठित धारा 80 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. जहां कहीं 31.12.1991 तक नगरीय निकायों व नगर सुधार न्यासों/जयपुर विकास प्राधिकरण में निहित भूमि पर अतिक्रमण की सूचना स्वतः अथवा अतिक्रमी के किसी आवेदन के फलस्वरूप प्राप्त हुई हो या जिसके संबंध में कोई कार्यवाही पहले से विचाराधीन हो, ऐसे मामलों में संबंधित स्थानीय निकाय के सचिव/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा जांच कर कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी ।

2. अगर अतिक्रमी का पुनर्व्यवस्थापन सम्भाव्य नहीं है, तथा अतिक्रमी व उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर संबंधित नगरीय क्षेत्र में कोई आवास अथवा आवासीय भूखण्ड नहीं है तो निम्नानुसार नियमन दर की वसूली करते हुए निर्धारित क्षेत्रानुसार नियमन किया जाये :-

।i। 150 वर्ग गज तक की आबादी भूमि का नियमन आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि वसूल करते हुए किया जाये ।

।ii। 150 वर्ग गज से अधिक परंतु 300 वर्ग गज तक की आबादी भूमि का नियमन आवासीय आरक्षित दर के अनुसार राशि वसूल कर किया जाये ।

3. उक्तानुसार नियमन आवासीय प्रयोजनार्थ ही किया जाये, व्यावसायिक या अन्य प्रयोजनार्थ नहीं ।

---2.

(57)
(398)

4. निर्मित अतिक्रमण/कब्जा 31.12.1991 से पूर्व होने के संबंध में निम्न साक्ष्य मान्य होंगे:-
(1) राशनकार्ड, (2) बिजली-पानी का बिल, (3) मतदाता सूची में नाम
(4) डाक से प्राप्त पत्र (5) अन्य कोई साक्ष्य जो यह साबित करे कि प्रार्थी
31.12.1991 से पूर्व मकान बनाकर काबिज है। इनके अलावा दो स्वतंत्र गवाहों के
हलफनामें भी प्राप्त किये जावें।

5. केवल न्यूनतम निर्मित क्षेत्र का ही नियमन किया जावे।

6. उक्तानुसार नियमन संबंधित कमेटी जो निगम/परिषद/मण्डल द्वारा गठित की गई है, के द्वारा किया जायेगा। जहां कमेटी गठित नहीं है, वहां निकाय के अध्यक्ष व आयुक्त अधिशाषी अधिकारी व कलेक्टर का एक मनोनीत अधिकारी संयुक्त रूप से निर्णय लेंगे।

7. उक्त कमेटी की स्वीकृति उपरांत संबंधित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा नियमानुसार नियमन आदेश जारी करते हुए लीज/पट्टा जारी किया जायेगा।

8. ऐसी किसी भी भूमि का नियमन नहीं किया जायेगा जो राजकीय भूमि होते हुए कृषि से गैर कृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण की जानी है, देवस्थान, वक्फ, जंगलात, श्मशान/कब्रिस्तान की भूमि है अथवा जिसके लिए किसी भी प्रवृत्त विधि के अंतर्गत कोई अवाप्ति कार्यवाही विचाराधीन है या जो किसी रेल्वे लाइन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय अथवा नगर पालिका सड़क के निषिद्ध दूरी वाले क्षेत्र में स्थित है।

9. इसके अलावा ऐसी राजकीय भूमि जिनका कृषि भूमि से गैर-कृषि प्रयोजनार्थ नियमन किया जाना है, इस परिपत्र के तहत नियमन नहीं किया जायेगा। ऐसी भूमियों के लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

10. इस नियमन का लाभ संबंधित आवेदक 31.3.2002 तक उठा सकेगा।

11. इस संबंध में पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक: एफ.7(187)एलएसजी/58/1151-1632 जयपुर, दिनांक 5/9 मई, 1977 एतद् द्वारा प्रत्याहारित किया जाता है।

ह0/-
शासन सचिव

क्रमांक:प.(1)(ग)( )नियम/डीएलबी/2001/2-408 दिनांक: 1.1.2002

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका, राजस्थान।
4. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
6. उपनिदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
7. सुरक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

(52)
(399)